की कम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित (2)
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या–181/2017–18

आदेश

(धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

विश्वनाथ प्रसाद ———— प्रथम पक्ष

बनाम

राम वृक्ष यादव वगैरी———————— द्वितीय पक्ष

24.05.2018 यह प्रक्रिया आवेदक विश्वनाथ प्रसाद पिता–स्व0 दुखन साव, ग्राम + पो0 + थाना–छत्तरपुर, जिला– पलामू ने 1. राम वृक्ष यावद पिता– गनौरी यावद 2. लखपति देवी पति– नंदकिशोर यावद सभी ग्राम + पो0– लोहराही, थाना–छत्तरपुर, जिला– पलामू के विरूद्ध मौजा– लोहराही, खाता सं0– 34, प्लॉट सं0– 13, रकबा– 0.06 एकड़, चौहद्दी, उत्तर– नहर, दक्षिण– रोड, पूरब– खरीद्दार नीज, पश्चिम– केता नीज के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि मौजा– लोहराही, खाता सं0– 34, प्लॉट सं0–13, रकबा–0.13 2/3 एकड़, चौहद्दी, उत्तर– नहर, दक्षिण– रास्ता, पूरब– निर्मल कुमार, पश्चिम– दयानंद कुमार के अंतर्गत प्रथम पक्ष को बटवारा वाद सं0–7/2000 राधा देवी बनाम् विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता वगैरह के बीच चल रहे वादों में आपसी सुलहनामा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी ता सहित
1	2	3

के आधार पर भूमि हासिल हुआ है और शांतिपूर्ण दखल कब्जा हुआ। प्रथम पक्ष ने मौजा– लोहराही के खाता सं0–34, प्लॉट सं0– 13, रकबा– 0.03 3/4 एकड़ भूमि को पैसा के आवश्यकता होने के कारण विपक्षी के पक्ष में विकय पत्र का निष्पादन किया है। प्रथम पक्ष के निष्पादन के विपक्षी को भूमि का सीमांकन काराकर खुटागड़ी नहीं कराया है लेकिन द्वितीय पक्ष बल पूर्वक खरिदगी भूमि से अधिक जे0 सी0 बी0 लगाकर कब्जा करने लगे जिस कारण से विवाद उत्पन हुआ है। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्पेक्ष करने कि कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि मौजा– लोहराही के खाता सं0–34, प्लॉट सं0–13 में रकबा–0.08 1/2 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0–01 एवं सदस्य सं0–02 के पति नंदकिशोर यादव सन् 30.04.2008 ई0 को केवाला सं0–3869 द्वारा प्राप्त किये हैं। इस भूमि कि खरीद द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के अपने भाई निर्मल कुमार गुप्ता पिता– स्व0 दुखन साव जाति– रौनियार वैश्य, ग्राम + पो0 + थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू से खरीद किया है। खरिदगी भूमि का दाखिल– खरीज द्वितीय पक्ष के केवालाधारी के नाम से होकर लगान निर्गत होते चला आ रहा है। विवादी भूमि विकेता निर्मल कुमार गप्ता को टाइटल सूट सं0– 07/2000 न्यायालय लोकअदालत, डलटनगंज के द्वारा प्राप्त हुआ था। इस भूमि का मांग पूर्व में विकेता की माता के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ट सं0–94/1 पर चल रहा था तथा विकेता को अपने भाईयों के बीच उक्त टाईटल में बतौर हक हिस्सा प्राप्त हुआ था। विकेता के दखल

की कम और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित (3)
	2	3

— कब्जा के आधार पर केता इस भूमि की खरिदगी के पश्चात दखल— कब्जे में आये। प्रथम पक्ष के विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता पिता— स्व0 दुखन साव भी दिनांक— 19.05.2014 को अपने टाईटल द्वारा प्राप्त बटवारा भूमि में से 0.03 3/4 एकड़ द्वितीय पक्ष के सदस्य से केवाला सं0— 3040 द्वारा भूमि विकी किये हैं इस प्रकार द्वितीय पक्ष को दो केवाला से कुल रकबा— 0.12 1/4 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ जिस पर दाखिल— काबीज हैं। खरिदगी भूमि पर वे निर्माण कार्य कर रहे थे उस पर प्रथम पक्ष का रोकना गलत है। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्पेक्ष किया जाय तथ द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतित होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यदि प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायलय जा सकते हैं। साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

24/5/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

24/5/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 12:23:30 +05:30
Location: 192.168.1.13